अध्याय -IV

कार्य व्यय

विभिन्न विभागों में कार्य व्यय पर लेखापरीक्षा की मुख्य टिप्पणियाँ सन्निहित है।

अध्याय - IV
कार्य व्यय

खण्ड - खः कण्डिकायें

पथ निर्माण विभाग

4.1 12 वर्षों तक पुल के अधूरे निर्माण पर निष्फल व्यय

अभिकर्ता द्वारा निर्माण कार्य छोड़ देने के कारण अधूरे पुलों के निर्माण पर 36.94 लाख रूपये का निष्फल व्यय

झारखण्ड राज्य के चन्दवा-महुआ मिलान-मैक्लुस्कीगंज सड़क के अन्तर्गत 4 पुलों के निर्माण कार्य (3 उच्च स्तरीय एवं एक पुलिया) के लिए 87.60 लाख रूपये की तकनीकी स्वीकृति (दिसम्बर 1985 एवं अगस्त 1988 के बीच) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्रदान की गयी थी। तीन पुलों का निर्माण कार्य अगस्त 1989 से अगस्त 1990 के बीच एक अभिकर्त्ता को 69.57 लाख रूपये मूल्य पर फरवरी 1991 एवं जुलाई 1992 के बीच संपन्न करने के लिए आबंटित किया गया। 36.94 लाख रूपये का भुगतान प्राप्त कर लेने के बाद अभिकर्त्ता ने सितम्बर 1993 एवं अक्टूबर 1995 के बीच बिना कोई कारण बताये काम रोक दिया। फरवरी 2003 तक निर्माण-कार्य फिर से शुरू नहीं हुआ था।

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, लातेहार के अभिलेखों की जाँच (मई 1999) से पता चला कि 782.27 टन विभिन्न व्यास वाले लोहे के छड़ (6 मी.मी. से 28 मी.मी. तक) जिसका मूल्य 51.91 लाख रूपये था, नवम्बर 1986 से सितम्बर 1989 के बीच उपर्युक्त पुलों के निर्माण हेतु प्राप्त किये गये थे। उपर्युक्त 782.27 टन लोहे के छड़ों मे से 464.70 टन छड़ जिसका मूल्य 30.84 लाख रूपये था, विभिन्न सेक्सनों (334.858 टन) एवं अन्य कार्य-प्रमंडलों (129.841 टन) को मार्च 1987 से अगस्त 1999 के बीच निर्गत किये गये थे। शेष 317.57 टन लोहे के छड़ जिनका मूल्य 21.07 लाख रूपये था, भंडार में फरवरी 2003 तक अव्यवहृत पड़े हुए थे।

तदन्तर 9403 बोरे सिमेन्ट तथा 48 बियरिंग, अभिकर्त्ता को अप्रैल 1990 तथा मई 1994 के बीच उच्च स्तरीय पुल के निर्माण में उपयोग करने हेतु निर्गत किये गये। अभिकर्त्ता ने 6910 बोरे सिमेन्ट तथा 12 बियरिंग का उपयोग निर्माण कार्य में किया तथा शेष 2493 बोरे सिमेन्ट जिसका मूल्य 2.74 लाख रूपये था और 36 बियरिंग जिसका मूल्य 2.25 लाख रूपये था, न तो निमाण-कार्य में व्यवहृत हुए न ही अभिकर्त्ता ने फरवरी 2003 तक उन्हें विभाग को वापस किया।

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, लातेहार अभिकर्त्ता के विरूद्ध संविदा के दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करने में असफल रहे एवं अव्यवहृत विभागीय सामग्री का मूल्य 4.99 लाख रूपये (सिमेन्ट : 2.74 लाख रूपये; बियरिंग : 2.25 लाख रूपये) वसूल नहीं किया। लेखापरीक्षा द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर भी (नवम्बर 2000 से फरवरी 2003 के बीच) कोई कारण नहीं बताया गया। इसके परिणामस्वरूप पुलों के अधूरे निर्माण पर 36.94 लाख रूपये का निष्फल व्यय के अतिरिक्त 26.06 लाख रूपये अव्यवहृत लोहे के छड़, सिमेन्ट एवं बियरिंग के मूल्य पर बाधित रहा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2002 एवं अप्रैल 2003); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।

जल संसाधन विभाग

4.2 भू-अर्जन की लागत पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

भू अर्जन की क्षतिपूर्त्ति राशि के भुगतान में विलम्ब के कारण 49.65 लाख रूपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, (एस एल ए ओ) स्वर्णरेखा परियोजना, (एस आर परियोजना) चालियामा-4 ने सिंहभूम जिले के कुलाबुरू गाँव की 713.30 एकड़ भूमि भू-स्वामियों को देय 2.10 करोड़ रूपये क्षतिपूर्त्ति मूल्य पर अधिग्रहित की एवं भूमि का कब्जा कार्यपालक अभियंता, खरकाई बाँध संख्या-2, ईचा-चालियामा को (जनवरी 1994) खरकाई बाँध निर्माण हेतु हस्तांतरित किया। चूँकि अधिग्रहित भूमि के लिए क्षतिपूर्त्ति का भुगतान जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया गया था, तीन भू-स्वामियों ने पटना उच्च न्यायालय के राँची बेंच में एक रिट याचिका (सी डब्लु जे सी संख्या 2138/95 आर) दाखिल किया। उच्च न्यायलय ने फैसला दिया (3 सितम्बर 1996) कि तीन महीने के अंदर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य क्षतिपूर्त्ति सहित सभी वैधानिक सहायता का भुगतान किया जाय तथा ऐसा नहीं करने पर जमीन अधिग्रहण की तिथि से भुगतान होने की तिथि तक के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से क्षतिपूर्त्ति की रकम पर ब्याज देय होगा। चूँकि उच्च न्यायालय के फैसला के अनुपालन में कोई भुगतान नहीं किया गया इसलिए प्रार्थियों ने एक अवमानना का मुकदमा दाखिल किया (एम जे सी 91/99 आर)। अवमानना के मुकदमें में दिये गये निर्देशानुसार (20 जनवरी 2000) विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी ने अंतिम रूप से 75.27 लाख रूपये (क्षतिपूर्त्ति 25.62 लाख रूपये, ब्याज 49.65 लाख रूपये) का भुगतान अप्रैल 2000 में किया।

लेखापरीक्षा (अगस्त 2001) में यह देखा गया कि विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी ने समय पर सरकार से निधि प्राप्त करने और न्यायलय के निर्देशानुसार निश्चित देनदारी का

भुगतान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जिसके कारण 49.65 लाख रूपये ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2002 एवं अप्रैल 2003); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।

4.3 एकरारनामाकृत विद्युत-भार कम नहीं किये जाने के कारण हानि

प्रमंडलीय पदाधिकारी, यांत्रिक प्रमंडल, चांडिल द्वारा कम किये गये विद्युत-भार पर विद्युत आपूर्ति कराने में दिखायी गयी लापरवाही एवं प्रयास की कमी के परिणामस्वरूप 1994-2003 (फरवरी 2003) के दौरान 6.40 करोड़ रूपये की हानि।

यांत्रिक प्रमंडल, चांडिल ने 1500 के वी ए विद्युत आपूर्त्ति हेतु एकरारनामा किया था। तत्पश्चात् प्रमंडल ने अपनी विद्युत-भार आवश्यकता का मूल्यांकन (जनवरी 1991) 500 के वी ए किया एवं तदनुसार विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमशेदपुर को जनवरी 1991 में विद्युत भार कम करने हेतु अनुरोध किया।

विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, सरायकेला (पूर्व में आपूर्त्ति प्रमंडल, जमशेदपुर) ने विद्युत-भार कम करके 500 के वी ए करना स्वीकृत किया एवं यांत्रिक प्रमंडल चांडिल को कम किये गये विद्युत-भार, क्षमता वाला ट्रान्सफरमर स्थापित करने एवं प्रमंडल के परिसर में संयोजित विद्युत-भार संबंधी विवरण प्रस्तुत करने को कहा। परन्तु प्रमंडल ने न तो कम किये गये विद्युत-भार क्षमता वाले ट्रांसफरमर स्थापित करने और न ही प्रमंडलीय परिसर में संयोजित विद्युत-भार क्षमता का विवरण विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल को प्रस्तुत करने का प्रबंध किया। यांत्रिक प्रंडल ने विद्युत-भार कम करने के लिए आवश्यक शुल्क (पचास रूपये) भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जमा नहीं कराया (शुल्क मई 2000 में जमा किया गया) और प्रमंडल को विद्युत की आपूर्ति एकरारनामा किये गये 1500 के वी ए विद्युत-भार की माँग पर ही की जा रही थी।

इस प्रकार प्रमंडलीय पदाधिकारी, यांत्रिक प्रमंडल चांडिल द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से कम किये गये विद्युत-भार पर विद्युत आपूर्ति के लिए एकरारनामा करने में विफलता के कारण 1.85 लाख रूपये प्रति माह के स्थान पर 6.21 लाख रूपये प्रतिमाह भुगतान करना पड़ा। अप्रैल 1994 से फरवरी 2003 तक विद्युत-प्रभार के रूप में ज्यादा भुगतान (ईंधन अधिभार सहित) करने के कारण प्रमंडल को कुल जमा 6.40 करोड़ रूपये की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2002 एवं अप्रील 2003) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।